म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

......

क्र. 3134 / शुल्क / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग / 2026 दिनांक – 03.09.2026

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मंदसौर विश्वविद्यालय
मंदसौर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026–27 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2026–27**में संचालित पाठ्यक्रमों हेतुविश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **01.09.2026 एवं 02.09.2026**में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 205वीं सभा बैठक दिनांक **03.09.2026** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Business Management	BBA	50000	40970	7230	48200
		MBA	85000	72250	12750	85000
2	Faculty of Arts	BA (Fashion Desigen)	70000	57545	10155	67700
3	Faculty of Commerce	B. COM	50000	36040	6360	42400
4	Faculty of Engineering & Technology	Diploma (ELEC.)	45000	38250	6750	45000
		Diploma (MECH)	45000	38250	6750	45000
		BE (CSE)	90000	71230	12570	83800
		BE (EEE)	80000	68000	12000	80000
		BE (MECH)	80000	66980	11820	78800
		M Tech	90000	76500	13500	90000

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

5	**Faculty of Education**	B.Ed	60000	46580	8220	54800
		B.P.Ed	60000	46580	8220	54800
		B P ES	42000	35700	6300	42000
6	**Faculty of Pharmacy**	D PHARM	70000	52700	9300	62000
		BPHARM (BRNCOP)	90000	72590	12810	85400
		M.Pharma (Pharmaceutics)	95000	69785	12315	82100
7	**Faculty of Agriculture**	B.Sc Hons. (Agriculture)	75000	60180	10620	70800
		M. Sc (Agriculture & Agronomy)	70000	55335	9765	65100
8	**Faculty of Life Science**	B.Sc (Biotech. Hons)	45000	35785	6315	42100
		B.Sc (Microbiol. Hons)	45000	35530	6270	41800
		B.Sc (Forensic Scien)	60000	46325	8175	54500
		M.Sc (Microbio. Hons)	50000	36125	6375	42500
		M.Sc (Biotech. Hons)	50000	36125	6375	42500
9	**Faculty of Computer Application**	BCA	45000	34255	6045	40300
		BCA (CC/SYSCS)	65000	53550	9450	63000
		MCA	70000	58395	10305	68700
10	**Faculty of Library Science**	B. Lib. Sc	28500	24225	4275	28500
		M. Lib. Sc.	28500	24225	4275	28500
11	**Faculty of Ayurveda**	BAMS	350000	266560	47040	313600
12	**Faculty of Law**	BBA LLB	60000	46155	8145	54300
		LLM	55000	42330	7470	49800

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद,एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।

JKGray

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नही होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नही है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2026–27 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

03/09/2026

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3135/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2026 **भोपाल, दिनांक 03.09.2026**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलगुरू, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

.... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल